न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 118/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. श्रीमती गवरी पत्नी श्री ईशराराम 2. लाखाराम पुत्र ईशराराम 3. धन्नाराम पुत्र ईशराराम 4. मोटाराम पुत्र ईशराराम 5. खेमाराम पुत्र ईशराराम 6. भींयाराम पुत्र ईशराराम सभी जातियान–जाट निवासीगण– ग्राम कोसरिया, तहसील– बायतू जिला बालोतरा।		1. नेनूदेवी पत्नी तुलछाराम 2. जोगाराम पुत्र तुलछाराम 3. पूनमाराम पुत्र तुलछाराम सभी जातियान–जाट निवासीगण– ग्राम कोसरिया, तहसील– बायतू जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 27.09.2021 जो उपखंड अधिकारी बायतू के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 219/2019 अनवान नेनूदेवी बनाम सांवलाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री चतुर्भज, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री राजेश भार्गव, रेस्पोडेन्टस की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 27 मार्च, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी खातेदारी की ग्राम कोसरिया के खेत खसरा संख्या 129, 130, 459/97, 469/130 कुल रकबा 4.7650 हैक्टर के बाबत सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह हेतु पत्थरगढी/नेखमबन्दी हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज करते हुए प्रकरण में दिनांक 22.05.2016 के द्वारा पत्थरगढी करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 20.04.2022 को पेश की है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन थी तथा प्रकरण को न्यायालय हाजा ने प्रतिप्रेषित किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना नहीं दी तथा न ही अपना पक्ष रखने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी दिनांक 23.09.2021 से पूर्व अपीलार्थी को नहीं थी। हल्का पटवारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया कि न्यायालय ने फैसला आपके विरूद्ध कर दिया है तब प्रथम बार जानकारी अपीलान्ट को हुई। इस प्रकार उक्त आदेश की प्रथम जानकारी होने पर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है अतः विलम्ब को क्षमा किया जावें। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार किये जावे क्योंकि जब माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था जिसकी सूचना अपीलार्थीगण को थी, उनके द्वारा जानबूझकर अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रखा। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को दिनांक 23.09.2021 से पूर्व से ही अपीलान्ट को जानकारी रही है उसके बावजूद अपील पेश करने की मियाद पूर्ण होने के 06 माह बाद अपील पेश की गई है और यह नहीं बताया कि उन्हें अपील पेश करने में देरी क्यों हुई। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सूचना के नोटिस भी दिनांक 21.8.2021 को तामील हो चुके थे जो उसके साथ रहने वाले एक पुत्र जुगताराम ने तामील किये थे उसके बावजूद भी अपीलार्थीया जानबूझ कर वहॉ गैर हाजिर रही थी। ऐसे में अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जों। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान अधिवक्ता के द्वारा किये गये कथनों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्टस के प्रार्थनापत्र में विवादित खसरान के सभी पडौसी खातेदारों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया और न ही उनको सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक था। इसके अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं था। प्राकृतिक न्याय एवं विधि का सारभूत सिद्धान्त है कि सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की खातेदारी पर नाजायज कब्जा करना चाहते है, इस

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कारण से पडौसी को पक्षकार नही बनाया और विप्रार्थीगण को नोटिस तामील नहीं करवाये। अपीलान्ट का नोटिस भी उनके पुत्र व भाई जुगताराम पर तामील करवाया गया, जबकि अपीलान्ट स्वयं अपने घर पर मौजूद थी। इसके अतिरिक्त मौके की कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई और सरसरी तौर पर ही प्रार्थनापत्र पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए नेखमबन्दी का आदेश पारित कर दिया। पत्थरगढी की मांग अपने खातेदारी वाले भू भाग के लिये की जाती है न कि अन्य पडौसी खातेदारो की भूमि कब्जा कर। रेस्पोडेन्ट ने मात्र विवाद खडा करने की नियत से ऐसा किया है। रेस्पोडेन्ट ने पत्थरगढी के जरिये कब्जा के वाद का निर्णय ले लिया है। उक्त निर्णय न्यायिक आदेश एवं स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है जबकि प्रत्येक विषय वस्तु पर विधिसम्मत निश्कर्ष दिया जाना आवश्यक होता है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने अन्त में कथन किया कि अपीलान्टस की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे या अधीनस्थ न्यायालय को मामला प्रेषित कर अपीलान्टस को मामले में सम्पूर्ण सुनवाई व बचाव का पूर्ण का अवसर देकर मामला निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक ता तीन के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बायतू के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी की ग्राम कोसरिया के खेत खसरा संख्या 129, 130, 459/97, 469/130 कुल रकबा 4.7650 हैक्टर के बाबत सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह हेतु पत्थरगढी/नेखमबन्दी हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज करते हुए प्रकरण में दिनांक 22.05.2016 के द्वारा पत्थरगढी करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुरूप होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु अपने स्तर पर विधि अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार है। उक्त खसरान भूमि के पडौसी खातेदारों द्वारा खेतों के मध्य बने सेढो को तोडते हुए रेस्पोडेन्टस की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिये जाने के कारण उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त नियमों के तहत पत्थरगढी/नेखमबन्दी हेतु आवेदन किया गया था तथा खसरान भूमि के सभी पडौसी खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया तथा अपीलान्टस

को भी जारी नोटिस की तामील उनके पुत्र के द्वारा तथा अन्य की तामील भी पूर्ण की गई थी जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट हो जाती है। अपीलान्टस के द्वारा तामील कर लिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा न तो अपनी उपस्थिती अधीनस्थ न्यायालय में दी और न ही अपना पक्ष रखने की कार्यवाही की। ऐसे में अब इस अपील के माध्यम से उक्त अनुतोष चाहा जा रहा है, जो विधि के विपरित है।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अपीलान्ट गवरीदेवी के पुत्र जुगताराम जिसके द्वारा नोटिस तामील किया गया था उसे अपील में अपीलान्ट पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय में वह भी पक्षकार था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में अन्य खातेदारान भी विप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार रहे है जिनकों अपील में पक्षकार संस्थित नहीं किया गया है ऐसे में अपील पोषणीय नहीं मानी जा सकती है क्योंकि अपील पर निर्णय से उनके हक–अधिकार भी प्रभावित हो सकते है। अतः अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से व सारहीन होने से अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या एक ता तीन के द्वारा ग्राम कोसरिया के खेत खसरा संख्या 129, 130, 459/97, 469/130 कुल रकबा 4.7650 हैक्टर के बाबत सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह हेतु पत्थरगढी/नेखमबन्दी हेतु पेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2016 के द्वारा पत्थरगढी करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में मुख्यतः यह आपत्ति की है कि अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 21.8.2021 को उनके पुत्र एवं भाई से विधिवत तामील करवाये गये है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 27.09.2021 को अपीलाधीन आदेश के जरिये उल्लेखित खसरान भूमि की पत्थरगढी करने के आदेश पारित किये है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश इस अपील के माध्यम से नहीं की जा सकती है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2021 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर